**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2535**

**06 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**पटसन समेकित विकास योजना**

**2535. श्री निशीथ प्रामाणिकः**

**श्री रमेश चन्द्र कौशिकः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) पटसन समेकित विकास योजना (जेआईडीएस) 2015 के अंतर्गत प्राप्त किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और कितने नए संकुल स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या इस समय देश में पटसन के बीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो देश से वार्षिकतः कितनी मात्रा में पटसन के बीजों का निर्यात किया गया है; और

(घ) असम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों और देशभर में पटसन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं?

**उत्तर**

**वस्त्र मंत्री**

**(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)**

**(क):** वर्ष 2016-17 से पटसन एकीकृत विकास (जेआईडी) योजना कार्यान्वित की गई है जिसके तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षण सह-उत्पादन केंद्र (टीसीपीसी) स्थापित करने वाली सहयोगकर्ता एजेंसियों को अधिकतम 1.50 लाख रुपए के अध्यधीन मशीनरी लागत के 75% तक की सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2016-17 से 2019-2020 (जनवरी, 2020 तक) के दौरान जेआईडी योजना के तहत सहयोगकर्ता एजेंसियों/मास्टर प्रशिक्षकों/डिजाइनरों को 158.00 लाख रुपए की कुल राशि वितरित की गई थी जिसका विवरण निम्नलिखित है:

| **वर्ष** | **2016-17** | **2017-18** | **2018-19** | **2019-20 (जनवरी,2020 तक)** |
|---|---|---|---|---|
| लाख रुपए में | 39.68 | 62.20 | 29.63 | 26.73 |
| इकाइयों की सं. | 18 | 25 | 10 | 9 |

परिणाम- प्रशिक्षुओं की कुल संख्या: (जिसमें से 40% सहयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा नियोजित किए गए हैं या स्व-रोजगार में हैं)। जेआईडी योजना के तहत नए कलस्टरों की स्थापना हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

**(ख) और (ग):** देश में पटसन बीजों की कोई कमी नहीं थी और वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-2020 (वर्तमान तक) में एक्जिम समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार निर्यातित पटसन बीजों की मात्रा निम्नलिखित है:

(टन में)

| | |
|---|---|
| 2017-18 | 9836.60 |
| 2018-19 | 5731.00 |
| 2019-20 | 9048.60 |

**(घ):** संपूर्ण देश में तथा असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पटसन को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा तैयार योजनाएं निम्नलिखित हैं:

**(i) <u>पटसन सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग:-</u>**

पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के तहत सरकार ने वस्तुओं और उस सीमा को विनिर्दिष्ट किया है जो पटसन पैकेजिंग सामग्री में अनिवार्य रूप से पैक की जानी है। इस समय खाद्यान्नों का कम से कम 100% और चीनी का कम से कम 20% पटसन पैकिंग में पैक किया जाना अनिवार्य है।

**(ii) पटसन उद्योग आधुनिकीकरण योजना: संयंत्र एवं मशीनरी के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसएपीएम):**

पटसन मशीनरी की उत्पादकता में वृद्धि करने और पुरानी मशीनों के स्थान पर नई तथा प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत मशीनों की स्थापना करके उन्हें सक्षम बनाने के लिए पटसन मिलों एवं जेडीपी इकाइयों में आधुनिकीकरण के लिए संयंत्र एवं मशीनरी अधिग्रहण प्रोत्साहन योजना (आईएसएपीएम) क्रियान्वित की गई है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पटसन मिलों और जेडीपी इकाइयों को 49.71 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है।

(iii) **पटसन किसान कल्याण योजना (जूट-आईकेयर):** फाइबर की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने और पटसन उत्पादन की लागत को कम करने तथा पटसन किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए पटसन खेती और रैटिंग प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक तकनीकों के पैकेज की शुरूआत करने के उद्देश्य से पिछले 4 वर्षों से जूट-आईकेयर (उन्नत खेती और विकसित रैटिंग प्रक्रिया) परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2018-19 की स्थिति के अनुसार, इस योजना में 98,897 हैक्टेयर, भू-क्षेत्र सहित 69 ब्लॉक और लगभग 2 लाख किसान शामिल हैं।

**(iv) कामगार कल्याण योजना:**

**(क) स्वच्छता अभियान-सुलभ शौचालय:**

पटसन मिल कामगारों की साफ-सफाई, स्वास्थ्य सुविधा और काम करने की स्थितियों में सुधार करने के लिए पटसन मिलों को सहायता प्रदान की जाती है। सहायता की दर 60.00 लाख रुपए (प्रति मिल/प्रति वर्ष) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के 90% दर पर है। इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 46 पटसन मिलों में 1365 शौचालयों का निर्माण किया गया है।

**(ख) पटसन मिलों के कामगारों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना, जेडीपी-एमएसएमई:**

एनजेबी, पटसन मिलों/जेडीपी-एमएसएमई इकाईयों के कामगारों की बालिकाओं के उच्चतर और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पटसन मिलों/जेडीपी एमएसएमई कामगारों की 17,722 बालिकाओं के उच्चतर और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में सफल होने पर 1133.05 लाख रुपए की छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

**(v) निर्यात विपणन विकास सहायता योजना:**

निर्यात विपणन विकास सहायता योजना (ईएमडीए), पटसन उत्पादों के पंजीकृत विनिर्माताओं और निर्यातकों को जीवनशैली और अन्य जेडीपी का निर्यात संवर्धन करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों और विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने हेतु सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान इस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए पंजीकृत निर्यातकों को 17.21 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

**(vi) विविधीकृत पटसन उत्पादों की खुदरा दुकानें और थोक आपूर्ति योजना:**

खुदरा दुकान योजना, चुनिंदा और बड़े पैमाने पर खपत के लिए पटसन उद्यमियों द्वारा जेडीपी की आपूर्ति श्रृंखला और थोक आपूर्ति की सहायता करती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान इस योजना के तहत 80 लाभार्थियो/उद्यमियों को 3.48 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

**(vii) डिजाइन विकास योजना-एनआईडी में एनजेबी पटसन डिजाइन सैल:**

एनआईडी (राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान), अहमदाबाद के प्राकृतिक फाइबर प्रवर्तनकारी केंद्र (आईसीएनएफ) में पटसन शोपिंग थैलों और जीवनशैली उपकरणों के विकास के लिए एक पटसन डिजाइन सैल की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख उद्देश्य देश और विदेश में मूल्ययोजन तथा बेहतर बाजार के लिए डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी पहल के माध्यम से नए और नवीनतम उत्पाद विकसित करना है। एनआईडी ने पटसन जीवनशैली उपकरणों के लिए 100 से अधिक बुने हुए, रंगे हुए, तैयार नमूने पहले ही विकसित किए हैं और प्लास्टिक थैलों, कोलेपस्बिल पटसन थैलों आदि के विकल्प के रूप में निम्न लागत वाले पटसन कैरी बैग को भी तैयार किया है। पटसन थैले नामत: फैशन, टोटे बैग, मुडने योग्य हैंड बैग (प्राकृतिक एवं रंगे हुए) हैं।

**(viii) पटसन एकीकृत विकास योजना (जेआईडीएस):**

जेआईडी योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने के लिए सत्यापित निकायों के सहयोग से समूचे देश के दूरदराज के स्थानों में स्थानीय इकाइयां और एजेंसियां स्थापित करना है। जेआईडी एजेंसियां, आधारिक स्तर पर मुख्यत: प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और डिजाइन/उत्पाद विकास तथा प्रसार करने के लिए मौजूदा और संभावित उद्यमों को बुनियादी, अग्रणी और डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बैकवर्ड और फार्वर्ड लिंकेज प्रदान करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। जेआईडी एजेंसियां पटसन विविधीकृत उत्पाद (जेडीपी) इकाइयों, एचएसजी, डब्ल्यूएसएचजी, एनजीओ को बाजार सुविधा प्रदान करने के प्रमुख स्रोत भी हैं जो उत्पादन इकाइयों का निर्माण करने और उसे बनाए रखने में सहायता करती है जो उद्यमशीलता विकास और स्वयं सहायता समूहों, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएचएसजी) की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान विभिन्न पटसन विविधीकृत उत्पादों के उत्पादन के लिए 1060 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है।

**(ix) पटसन कच्ची सामग्री बैंक (जेआरएमबी) योजना:**

इस योजना का उद्देश्य जेडीपी का उत्पादन करने के लिए एमएसएमई-जेडीपी इकाइयों की आवश्यकता को पूरा करके देश में जेडीपी क्रियाकलापों की गति को बढ़ाना है ताकि उन्हें मिल गेट मूल्य पर नियिमत रूप से कच्ची सामग्री की आपूर्ति की जा सके और उन्हें घरेलू और अंतराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए उच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्माण करने में सहायता की जा सके। जेडीपी के लिए उत्पादन आधार को बढ़ाना और विशेष रूप से महिला ग्रामीण समूहों को रोजगार प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए चयनित सक्षम संगठन/एजेंसियां बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करती हैं। जेआरएमबी मौजूदा एसएचजी, कारीगरों एवं उद्यमियों को सेवा प्रदान करने के अलावा नए डब्ल्यूएसएचजी, कारीगरों एवं उद्यमियों को विकसित करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में जेडीपी द्वारा किए जा रहे प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रयासों के एक पूरक के रूप में कार्य करता है।

**(x) बाजार संवर्धन सहायता:**

पटसन कारीगरों, उद्यमियों, बुनकरों, एनजीओ, महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को भारत और विदेशों में उनके उत्पादों की बिक्री, विपणन और संवर्धन करने के लिए बाजार संवर्धन सहायता प्रदान की जाती है। एनजेबी द्वारा आयोजित मेले, इन समूहों के लोगों के लिए आजीविका के माध्यम हैं। अन्य कार्यक्रमों के साथ-

साथ कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे-आईआईटीएफ, दिल्ली  सूरजकुंड मेला, टेक्सट्रेंड्स, दिल्ली, ताज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, शिल्पग्राम उदयपुर, गिफटेक्स, मुंबई, भारतीय शिल्प और उपहार मेला, ग्रेटर नोएडा आदि हैं जहां राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, पटसन उत्पादों के संवर्धन के लिए पटसन इकाइयों की भागीदारी हेतु आयोजन करता है और उसे सुकर बनाता है। विपणन संवर्धन सहायता के लाभार्थी जेडीपी इकाइयां, पटसन मिलें, इब्ल्यूएसएचजी आदि हैं। विपणन संवर्धन मेलें/प्रदर्शनियां, समूचे देश में आयोजित की जाती हैं और उनमें भागीदरी की जाती है। एनजेबी, निर्यात बढ़ाने के लिए पटसन निर्यातकों को निर्यात संवर्धन सहायता भी प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय मेलों, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) में भागीदारी को सुकर बनाता है।

### (X I) **पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो टेक्निकल वस्त्रों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु योजना:**

यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र की अवसंरचना की अस्थाई जियोलॉजिकल स्थितियों के विकास में जियो टेक्निकल वस्त्रों की आधुनिक किफायती प्रौद्योगिकी के रूप में प्रयोग को प्रदर्शित करने तथा पूर्वोत्तर में अवसंरचना के टिकाउपन, प्रक्रिया तथा जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मणिपुर और मेघालय राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र – भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन (इजिरा) के माध्यम से वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड ने पूर्वोत्तर राज्यों में पहाड़ी ढलान संरक्षण, भू-स्खलन प्रबंधन, मृदा संरक्षण तथा सड़क निर्माण को कार्यान्वित करने तकनीकी उपाय किए हैं उन्हें प्रोत्साहित किया है और प्रदान जिसमें पटसन जियो वस्त्रों की 38.00 लाख वर्ग मीटर के मात्रा प्रयोग की गई थी।

### (X II) **पटसन विकास कार्यक्रम**:

कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे 9 प्रमुख पटसन उत्पादक राज्यों में उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत फसलन प्रणाली दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पटसन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। योजना के तहत मौके पर प्रदर्शन (उत्पादन प्रौद्योगिकी पर/अंतर फसलन तथा वैकल्पिक रेटिंग प्रौद्योगिकी पर) तथा प्रशिक्षण (राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण) के माध्यम से अद्यतन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा नई जारी की गई किस्मों के गुणवत्ता बीजों के उत्पादक हेतु सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना राज्य के कृषि विभाग (एसडीए), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2015-16 से एनएफएसएम भारत सरकार तथा राज्यों के बीच में सामान्य श्रेणी के राज्यों हेतु 60:40 तथा पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों हेतु 90:10 के आधार पर साझेदारी के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। तथापि, सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों को 100 प्रतिशत वित्त पोषित किया जाता है।

*****